अध्याय IV: पेंशन वितरण

4.1 परिचय

4.1.1 पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए), जिनमें बैंक, रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय(डी पी डी ओ), कोषागार, पी ए ओ और डाकघर, कठुआ समाविष्ट हैं, उनके द्वारा पेंशन का वितरण किया जाता है। अधिकांश पेंशनर बैंकों (लगभग 74.8 प्रतिशत) या डी पी डी ओ (18.5 प्रतिशत) के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं। बैंकों ने अपने केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सी पी पी सी) की स्थापना की है, जो प्रत्येक बैंक में पेंशन के मामलों के प्रसंस्करण के लिए केन्द्र बिन्दु हैं।

4.1.2 मौजूदा व्यवस्था के तहत, बैंक अपनी ही निधि से पेंशन का भुगतान करते हैं और दैनिक आधार पर आर बी आई से प्रतिपूर्ति की मांग करते हैं। उन्हें व्यय के उचित लेखाकरण के लिए पी सी डी ए (पी) को विस्तृत पेंशन भुगतान स्क्रॉल भेजना आवश्यक है। बैंक समय-समय पर जारी किए जाने वाले सरकारी आदेशों के आधार पर, पेंशन को संशोधित करने के लिए भी अधिकृत हैं। आर बी आई, बैंकों को उनके द्वारा निपटाए गए लेनदेन की संख्या के आधार पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करती है। डी पी डी ओ सरकारी खाते को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करके पेंशन का भुगतान करते हैं। डी पी डी ओ द्वारा प्रयुक्त आश्रय सॉफ्टवेयर पेंशन के भुगतान को सुगम बनाता है और इसमें डी पी डी ओ द्वारा वितरित पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होता है। अन्य पीडीए जैसे कि कोषागार एवं डाकघर कठुआ द्वारा किए गए संवितरणों को बाद में महालेखाकार(ए एंड ई) या निदेशक (डाक विभाग) के माध्यम से समायोजित किया जाता है।

4.1.3 हमने सही पेंशन के सामयिक वितरण की जाँच करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 16 (सोलह) सी पी पी सी, रक्षा लेखा विभाग के 10 (दस) डी पी डी ओ और राज्य सरकारों के 08 (आठ) राजकोषीय कार्यालयों में पेंशन के वितरण की नमूना जाँच की। भौतिक नमूना के रूप में इसमें प्रत्येक पीडीए से कम से कम 300 मामले समाविष्ट थे।। इसके अलावा, 16 चयनित सी पी पी सी और 63 डी पी डी ओ के द्वारा अनुरक्षित थोक सॉफ्ट डाटा का डाटा विश्लेषिकी तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। इसके निष्कर्ष अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं।

4.2 रक्षा पेंशनरों को अल्प भुगतान

क्षेत्र-लेखापरीक्षा के दौरान पी डी ए से प्राप्त किए गए एक महीने के ई-स्क्रॉल और भुगतान वाउचरों का आई टी टूल्स का प्रयोग करते हुए किए गए विश्लेषण से इंगित हुआ कि 21,434 पेंशनरों (18.96 लाख में से) को अल्प भुगतान किया गया था। सामने

आए मामलों में कम भुगतान की राशि को पेंशनरों के पेंशन के वितरण की उस पूरी अवधि के लिए गणना की गई थी, जिस तिथि से उनकी पेंशन देय थी और यह ₹106.17 करोड़ थी जैसा कि नीचे **तालिका 7** में दर्शाया गया है:

तालिका 7: रक्षा पेंशनरों को किए गए अल्प भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	प्रभावित पेंशनरों की संख्या	अल्प दत्त (₹ करोड़ में)	सम्मिलित पी डी ए की संख्या
1	सेवा पेंशन का गलत निर्धारण	1,120	62.59	12
2	अर्हता सेवा का गलत पूर्णांकन	418	1.62	3
3	पेंशन के रूपांतरित भाग का गैर पुनःस्थापन	1,826	4.19	6
4	अशक्तता अंश का गैर भुगतान अथवा कम दरों पर भुगतान	35	0.47	5
5	अशक्तता पेंशन का पूर्णांकन नहीं किया जाना	1,254	10.89	3
6	वीरता पुरस्कारों में सम्मिलित मौद्रिक भत्तों का गैर-भुगतान	49	0.34	8
7	परिवार पेंशन का गैर-संशोधन	4,401	18.08	12
8	80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन का गैर-संशोधन आथवा गलत संशोधन	864	1.67	10
9	स्थायी चिकित्सा भत्ता का गैर-संशोधन	11,164	5.76	19
10	100 प्रतिशत अशक्तता वाले पेंशनरों को मिलने वाले सतत परिचर्या भत्ता का गैर-संशोधन	79	0.38	10
11	अनुग्रह राशि का गैर-संशोधन	224	0.18	9
	कुल	**21,434**	**106.17**	

इनमें से, दो सी पी पी सी[13] में 229 पेंशनरों और 20 डी पी डी ओ[14] में 37 पेंशनरों को ₹3500 की न्यूनतम प्रत्याभूत पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही थी। 297 मामलों में, मूल अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण संशोधन आदेश जारी किए जाने के बाद भी

[13] एस बी आई गुवाहाटी और बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली

[14] लाल किला-II दिल्ली, बरार स्कवैयर दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, जलंधर, अमृतसर, भटिंडा, रोपड़, जम्मू एस एन, जम्मू ए आर, उधमपुर, श्रीनगर, लेह, इलाहाबाद, गोरखपुर, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, बैंगलोर,वेल्लोर, कोट्टायम में 20 डी पी डी ओ

कई वर्षों तक पेंशन संशोधित नहीं की गई थी। पाए गए अल्प भुगतान के महत्वपूर्ण मामलों का सारांश **अनुलग्नक-5** में दिया गया है।

बाद में, जब आई टी टूल्स का प्रयोग करके 2011-12 से 2015-16 तक की पांच साल की अवधि के ई-स्क्रॉल के थोक डाटा का विश्लेषण किया गया था, तो उससे ₹ 228.85 करोड़ के संभावित अल्प भुगतान का पता चला जैसा कि **अनुलग्नक-6** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा विश्लेषण से निकले मामलों को विस्तृत जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित एजेन्सियों को सूचित किया गया था।

एम ओ डी ने बताया कि यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पी डी ए के साथ उठाया जा रहा है।

4.3 रक्षा पेंशनरों को अधिक भुगतान

4.3.1 इसी प्रकार, 17 पी डी ए और 08 कोषागारों में एक महीने के पेंशन भुगतान लेखाओं और ई-स्क्रॉल के विश्लेषण से इंगित हुआ कि पी डी ए द्वारा 11,973 (18.96 लाख में से) रक्षा पेंशनरों को डाटाबेस में गलत जन्मतिथि, अर्हता सेवा, और सेवा समूह आदि दर्ज होने के कारण अधिक भुगतान किया गया था । जब से पेंशनरों को पेंशन देय थी, उस तिथि से शुरु करके वितरण की संपूर्ण अवधि में पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की गणना की गई तो यह राशि ₹118.23 करोड़ थी। विवरण नीचे **तालिका 8** में दिया गया है:

तालिका 8 : रक्षा पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	प्रभावित पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	सम्मिलित पी डी ए की संख्या
1	पेंशन का गलत निर्धारण	509	36.52	15
2	अर्हता सेवा का गलत पूर्णांकन	616	2.84	1
3	महंगाई राहत	110	0.88	7
4	पेंशन का रूपांतरण	609	10.14	9
5	अशक्तता पेंशन(ब्रोड-बैंडिंग)	103	0.84	3
6	दोहरी अशक्तता	1	0.07	1
7	परिवार पेंशनर को अशक्तता	1	0.08	1
8	वीरता पुरस्कार	8	0.02	2
9	परिवार पेंशन	39	0.55	5
10	अतिरिक्त पेंशन	233	1.65	7
11	अनियमित अतिरिक्त पेंशन	83	1.27	1
12	स्थायी चिकित्सा भत्ता (एफ एम ए) का अनियमित भुगतान	8,604	21.62	19

क्रम संख्या	विवरण	प्रभावित पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	सम्मिलित पी डी ए की संख्या
13	सतत परिचर्या भत्ता	8	0.08	2
14	एन सी सी अधिकारियों को अधिक भुगतान	41	5.95	9
15	सिविलियनों की पेंशनों का गलत संशोधन	100	2.95	1
16	रिजर्व सैनिक[15]	908	32.77	11
	कुल	**11,973**	**118.23**	

एम ओ डी ने बताया कि अधिक भुगतान अनके डाटाबेस में गलत प्रविष्टि/गलत सूचना के कारण की गयी थी और पी डी ए को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गयी थी ।

4.3.2 बाद में, जब समीक्षाधीन पाँच वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात 2011-12 से 2015-16 तक के ई-स्क्रॉल के थोक सॉफ्ट डाटा का आई टी टूल्स का उपयोग कर विश्लेषण किया गया, तब ₹518.70 करोड़ के संभावित अधिक भुगतान का संकेत मिला । इसका विवरण **अनुलग्नक-6** में दिया गया है। संबंधित एजोंसियों को विस्तृत सत्यापन और उचित कार्रवाई के लिए सभी मामलों की सूचना दे दी गई थी।

एम ओ डी ने बताया कि यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पी डी ए के साथ उठाया जा रहा है।

4.4 दोहरे भुगतान

फरवरी 2015 के महीने के लिए 16 बैंकों के सी पी पी सी और डी पी डी ओ के ई-स्क्रालों में 10,55,000 अभिलेखों का आई टी टूल्स की सहायता से विश्लेषण करने पर हमें 153 ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति हुई जिसमें या तो एक ही पी पी ओ संख्या को दो खातों से जोड़ा गया था या फिर एक ही खाते में दो पेंशन जमा की गई थी। बैंकों में इस बात का सत्यापन करने पर यह पता चला कि इनमें दोहरे भुगतान वाले 59 मामले

[15] सशस्त्र बलों में सक्रिय सेवा के दौरान प्रदान की गई सेवा "कलर सेवा" कही जाती है और रिजर्व में 'रिजर्व सेवा' कहलाती है। सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम "कलर सेवा" 15 वर्ष है। 15 वर्षों की संयुक्त "कलर सेवा" और "रिजर्व" सेवा के बाद सेवानिवृत्त व्यक्तियों को "रिजर्विस्ट पेंशन" प्रदान की जाती है। सेवा कार्मिकों पर लागू आदेशानुसार पी डी ए के द्वारा अनियमित संशोधन के कारण अधिक भुगतान हुए।

थे जिसमें से 26 मामलों में बैंकों को दोहरे भुगतान का पता पहले ही लगा था और वसूली के लिए कार्रवाई कर चुके थे। हालाँकि ₹91.90 लाख के दोहरे भुगतान वाले 33 मामलों पर वसूली या तो आरंभ नहीं की गयी थी या फिर पूर्ण नही हुई थी। शेष 94 मामलों (153-59) में, आँकड़ों की प्रविष्टि की गलतियाँ थीं (बैंकों द्वारा पी पी ओ संख्या की गलत प्रविष्टि की गई) जिन्हें इंगित करने पर परिशोधित कर दिया गया था।

एम ओ डी ने बताया (जून 2017) कि 33 में से 19 मामलों में वसूली शुरू हो गई थी और शेष मामलों में वसूली के लिए आवश्यक संपर्क किया जा चुका था।

4.5 पेंशन वितरण में अन्य अनियमितताएं

- बैंक ऑफ बड़ौदा (बी ओ बी), नई दिल्ली में 26 खाते ऐसे थे जिनमें 03 से 92 पेंशनरों की पेंशन एक ही खाते में जमा की गई थी।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(सी बी आई) मुम्बई, में समान पी पी ओ के प्रति पेंशनरों के खातों में दो बार पेंशन जमा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2013-16 की अवधि में ₹34.94 लाख का अधिक भुगतान किया गया।
- उसी प्रकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 9 मामलों में दो बार राशि जमा की, जिससे ₹10.62 लाख का अधिक भुगतान हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रक्षा शीर्ष के अंतर्गत अन्य विभागों के चार पेंशनरों को ₹ 20.25 लाख का भुगतान भी किया।
- एस बी आई मुम्बई ने 2011-12 से 2015-16 के दैरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के चार पेंशनरों को ₹12.56 लाख का भुगतान किया।
- एस बी आई गुवाहाटी में, 2,453 मामलों में जन्मतिथि 31/12/3001 दर्ज की गई थी। एस बी आई गुवाहाटी ने पी पी ओ नहीं होने के बावजूद पेंशन का भुगतान अधिकृत किया। 32 पी पी ओ लापता थे और 51 के जल जाने की रिपोर्ट दर्ज थी।
- एस बी आई पटना में, सी पी पी सी के पास 1496 पेंशनरों के पी पी ओ नहीं थे और मार्च 2016 तक पेंशन का भुगतान पी पी ओ के बिना किया जा रहा था।
- पौड़ी गढ़वाल कोषागार में, कुल 2285 पेंशनरों में 30 प्रतिशत पेंशनरों की जन्मतिथि कंप्यूटर में दर्ज नहीं की गई थी और 29.6 प्रतिशत पेंशनरों की जन्मतिथि 15/07/1947 दर्ज थी। चार मामलों में इस कोषागार द्वारा ₹31.83 लाख का भुगतान भी मूल पीपीओ के बिना किया गया।

- फर्रूखाबाद कोषागार में, चार पीपीओ लापता थे (दीमक व नमी के कारण नष्ट बताए गए) और पेंशन का भुगतान पी पी ओ के बिना अधिकृत किया जा रहा था।

एम ओ डी ने बताया (मार्च 2017) कि पी डी ए से विवरण मांगा गया था, जिससे उचित आदेश जारी किया जा सके।

4.6 अधिक भुगतान की वसूली में विलंब

आर बी आई अनुदेश यह अनुबद्ध करते हैं कि अधिक भुगतानों को पेंशनर के लिए निर्धारित राशि के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए। ई-स्क्रालों एवं पेंशनरों की प्रोफाइलों की जाँच से यह पता चला कि पी डी ए द्वारा 6,900 रक्षा पेंशनरों को किए गए ₹62.04 करोड़ के अधिक/गलत भुगतान की वसूली में देरी (पी डी ए द्वारा पहचान की गई) की गई थी **(अनुलग्नक-7)**। कुछ मामलों में, ₹1.00 प्रति महीने की दर से वसूली की गई थी जिसका यह अर्थ था कि पेंशनर के संपूर्ण जीवनकाल में भी उस की पूरी वसूली संभव नही थी। एम ओ डी ने कहा कि परीक्षण एवं आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिक भुगतान का विवरण मंगाया गया था।

4.7 पेंशनरों के आँकड़ों में कमियाँ

जैसा कि पैरा 1.6.2 में उल्लिखित है, पी सी डी ए (पी) कार्यालय और पी डी ए से प्राप्त 2011-12 से 2015-16 के ई-स्क्रॉल डाटा को हमने समेकित किया, जो संख्या में कुल लगभग 7.15 करोड़ अभिलेख थे। इस डाटा को पी सी डी ए (पी) द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों की प्रोफाइलों से मिलाया गया। **अनुलग्नक-8** में ई-स्क्राल के डाटा और पी सी डी ए (पी) द्वारा अनुरक्षित डाटा के बेमेल का सारांश दिया गया है।

यह देखा गया कि पी डी ए द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली पेंशनरों की प्रोफाइल के लिए पी सी डी ए(पी) द्वारा निर्धारित प्रारूप में पी डी ए द्वारा 67 क्षेत्रों को लेना आवश्यक था, जैसे कि नाम, रैंक, सेवा के दौरान पहचान संख्या,जन्मतिथि आदि। तथापि, पीडीए द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों की प्रोफाइल में अपूर्ण और गलत आंकड़े थे। उदाहरण के लिए:

(i) खाता संख्या नहीं होना

17 में से 11 पी डी ए में पेंशन भुगतान स्क्रॉल में दिखाई देने वाला बैंक खाता नंबर प्रोफ़ाइल डाटाबेस में नहीं दिखाई दिया। पी डी ए में बेमेल लेनदेन की संख्या 78 से 4,41,980 तक थी **(**स्तंभ 4, **अनुलग्नक -8)**। यह एक महत्वपूर्ण वैधीकरण जांच के अभाव को इंगित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशनों को सही खाते में भुगतान किया जाता है।

(ii) नाम एवं पी पी ओ संख्या का लापता होना

17 में से 13 पी डी ए में स्क्रॉलों में या तो नाम या पी पी ओ संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे लेनदेन की संख्या जिसमें पी डी ए अभिलेखों में नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, 137 से 2,08,844 के बीच थी; और पी डी ए अभिलेख जिसमें पी पी ओ उल्लेखित नहीं थे, ऐसे अभिलेखों की संख्या 26 से 1,38,991 के बीच थी **(**स्तंभ 5 और 6**, अनुलग्नक -8)**।

(iii) जन्मतिथि में त्रुटि

आंध्रा बैंक को छोड़कर सभी पी डी ए में, कई मामलों में जन्म तिथि को या तो नहीं लिखा गया था या गलत लिखा गया था। उदाहरण के लिए,

क) 27,55,097 लेनदेन में जन्म तिथि को नहीं लिखा गया था।

ख) 2,55,483 लेनदेन में जन्म तिथि को 31/12/3001 उल्लेखित किया गया था।

ग) 23,954 लेनदेन में जन्म तिथि पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों से मेल नहीं खाती थी।

घ) 14,125 लेनदेन में जन्म तिथि बैंक प्रोफाइल से मेल नहीं खाती थी।

ङ) 162,777 लेनदेन में, पेंशनरों की प्रोफाइल में दी गई जन्म तिथि के अनुसार पेंशनरों ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी सेवा की थी (स्तंभ 8**, अनुलग्नक-8**)

चूंकि 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु में दी जाने वाली 'अतिरिक्त पेंशन' के मामले में जन्म तिथि का वित्तीय निहितार्थ होता है, जन्म तिथि का ना होना अथवा गलत होना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण का अभाव था।

(iv) एक ही पी पी ओ के लिए पेंशन अलग-अलग खातों में जमा किया जाना

चूंकि पी पी ओ में एक अनन्य संख्या होती है, एक पी पी ओ के अंतर्गत दो अलग बैंक खातों में भुगतान नहीं किया जा सकता है। हमने देखा कि 9,696 मामलों में (स्तंभ 9**, अनुलग्नक-8**) एक ही पी पी ओ के अंतर्गत पेंशन को एक से अधिक बैंक खातों में जमा किया गया था। इससे इंगित होता है कि या तो स्क्रॉल में पी पी ओ संख्या गलत दी गई थी अथवा किसी एक खाते में अनियमित भुगतान किया गया था।

(v) विभिन्न पी पी ओ के लिए पेंशन एक बैंक खाते में जमा किया जाना

यद्यपि व्यक्तिगत पेंशनर के बैंक खाते में एक अनन्य पी पी ओ के आधार पर पेंशन जमा की जाती है, हमने 38,127 ऐसे मामले देखे जहाँ पर विभिन्न पी पी ओ संख्या

के अंतर्गत पेंशन को एक ही बैंक खाते में जमा किया गया था(स्तंभ 10**, अनुलग्नक-8**)। इससे इंगित होता है कि या तो पी पी ओ संख्या या खाता संख्या गलत दी गई थी।

(vi) पी सी डी ए डाटा से बैंक स्क्रॉल डाटा का बेमेल होना

पी पी ओ में पी सी डी ए (पी) को प्राप्त पेंशनरों के प्रोफाइल डाटा पर आधारित पेंशनरों का व्यक्तिगत और सेवा विवरण होता है। पी सी डी ए (पी) द्वारा बैंकों को स्याही से हस्ताक्षरित पी पी ओ जारी किए जाते हैं, जो कि पेंशन वितरक एजोंसियाँ होती हैं। बैंक अपने लिए पेंशनरों की प्रोफाइल बनाने के लिए पी पी ओ के डाटा का प्रतिलेखन करते हैं जिसके आधार पर पेंशन वितरित की जाती है। बैंकों द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों की प्रोफाइल पर आधारित डाटा ई-स्क्रालों में होता है।

हालाँकि, बैंकों/डी पी डी ओ के ई-स्क्रॉल डाटा को पेंशनरों की प्रोफाइल(पी सी डी ए (पी) द्वारा अनुरक्षित) से मिलान करने पर "बैंक खाता संख्या" और "पी पी ओ संख्या" के शीर्ष में यह पाया गया कि 5,15,869 मामलों **(**स्तंभ 11, **अनुलग्नक-8)** में स्क्रॉल अभिलेख पी सी डी ए (पी) के अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे। इससे प्रकट होता है कि या तो दी गई पी पी ओ संख्या गलत थी अथवा पी सी डी ए (पी) द्वारा पी डी ए के अभिलेखों से मिलान नहीं किया गया था। डाटा के अशुद्ध होने और पी डी ए एवं पी सी डी ए (पी) के बीच समाधान नही हो पाने के कारण पेंशन के गलत या कपटपूर्ण भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

एम ओ डी ने बताया (जून 2017) कि मामले की अधिक जाँच की आवश्यकता थी और ई-स्कॉलों की जानकारी के साथ मास्टर डाटा का मेल-मिलाप करने के लिए एक डाटा परिशोधन कक्ष खोला गया था।

4.8 डी पी डी ओ द्वारा पेंशन का वितरण

रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डी पी डी ओ) के माध्यम से रक्षा पेंशन के लेखाकरण और वितरण के लिए सी जी डी ए द्वारा **आश्रय** सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। हमने देखा कि:

- पी सी डी ए (पी) के डाटाबेस के साथ गैर-एकीकरण की वजह से, डी पी डी ओ आश्रय सॉफ्टवेयर में मैनुअल रूप से आंकड़ों को प्रविष्ट कर रहे थे तथा डी पी डी ओ स्तर पर सूचना की अनुपलब्धता के कारण कई क्षेत्रों को रिक्त छोड़ रहे थे।

- प्रविष्ट किए गए डाटा के वैधीकरण के अभाव में डाटा का प्रमाणीकरण चुनौतीपूर्ण था। उदाहरण के लिए: कई मामलों में "रेकस्टैट्स" फील्ड में केवल वर्णानुक्रमिक के बजाय एल्फ़ान्यूमेरिक डाटा स्वीकार किए जा रहे थे; "दिनांक" फ़ील्ड '0' से '99999999' तक किसी भी संख्या को स्वीकार कर रहा था; और "अर्हता सेवा" फ़ील्ड '0' स्वीकार कर रहा था।

  आश्रय सॉफ्टवेयर के हिस्ट्री मास्टर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि:

  I. 425,495 अभिलेखों में से 1,854 में, अलग-अलग रेजिमेंटल नंबर वाले दो पेंशनरों के नाम के सामने एक ही पी पी ओ नंबर था।

  II. अशक्तता / इनवैलिड आउट के 31,419 मामलों में, अशक्तता के प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया था।

एम ओ डी ने बताया (मार्च 2017) कि ई-पी पी ओ परियोजना विकास के चरण में थी और पी सी डी ए (पी) और डी पी डी ओ के बीच डाटाबेस के एकीकरण को उस परियोजना के पूरा होने के बाद किया जा सकता था।

4.9 पेंशनरों से आयकर की गैर-कटौती

रक्षा पेंशन भुगतान निर्देशों के पैरा 88.1 के अनुसार पेंशनरों से स्रोत पर आयकर (टी डी एस) की कटौती करना पी डी ए की जिम्मेदारी है।

- आश्रय के डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डी पी डी ओ ने 4,38,234 पेंशनरों में से केवल 157 के मामले में आयकर की कटौती की (मार्च 2016)।

- उधम सिंह नगर कोषागार ने मार्च 2015 में 230 सेवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया लेकिन उनसे आयकर की कटौती नहीं की। मार्च 2015 में पौड़ी गढ़वाल कोषागार ने 1140 सेवा पेंशनरों को पेंशन का वितरण किया, लेकिन इनमें से उप-कोषागार, सतपुली के 344 सेवा पेंशनरों को छोड़कर किसी से भी आयकर की कटौती नहीं की।

- सी पी पी सी, बी ओ बी, नई दिल्ली के स्क्रॉल की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2016) से पता चला कि 81 मामलों में हालाँकि कुल भुगतान छूट सीमा से अधिक था, आयकर की कोई कटौती नहीं की गई थी।

- अन्य पी डी ए जिनके द्वारा टी डी एस की कटौती नहीं की गई, वह थे, डी पी डी ओ, सिकंदराबाद (3129 मामले), कोषागार, कोझीकोड (862 मामले), डी पी डी ओ एरणाकुलम (4154 मामले) और सी पी पी सी, बी ओ एम, पुणे (32,985 मामले) ।

हमने देखा कि एस बी आई और डी पी डी ओ को छोड़कर पी सी डी ए (पी) और पी डी ए से प्राप्त थोक डाटा में स्थायी खाता संख्याएं (पैन) उपलब्ध नहीं थीं। पेंशनर के मूल विवरण में पैन के होने से पी डी ए को स्रोत पर कर कटौती करने की सुविधा मिल सकती थी।

4.10 जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन

पेंशनरों को वर्ष में एक बार नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। हमने देखा कि कुछ मामलों में, जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

नामित प्राधिकारी द्वारा प्रारूपानुसार, हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना पेंशनरों के लिए एक चुनौती हो सकती है, विशेषकर बढ़ती आयु के साथ। इस समस्या को कम करने के लिए पी सी डी ए (पी) ने सरकार की जीवन प्रमाण योजना के माध्यम से प्राप्त डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को एक स्वीकार्य दस्तावेज़ के रूप में लिया था। जीवन प्रमाण पहल नागरिकों को मोबाइल फोन और नामित सेवा केन्द्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक के द्वारा सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करती है।

हालाँकि जीवन प्रमाण का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है, बैंकों के भुगतान स्क्रॉलों की जाँच से हमें यह पता चला कि उनमें से केवल कुछ बैंकों ने (उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) आधार संख्या ली थी और वह भी अपने पेंशनरों के केवल एक हिस्से की ली थी।

4.11 अन्य टिप्पणियां

डाकघर, कठुआ 4,599 रक्षा पेंशनरों के रक्षा पेंशन वितरण खातों का अनुरक्षण करता है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इस डाकघर द्वारा मैनुअल रूप से पेंशन वितरण के अभिलेख का अनुरक्षण किया जाता है।

4.12 निष्कर्ष और सिफारिशें

अल्प-भुगतान और अधिक-भुगतान के कारणों का विश्लेषण इंगित करता है कि यह ज्यादातर, पेंशन के गैर-संशोधन या गलत संशोधन और पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) के डाटाबेस में पेंशनरों की श्रेणी, समूह, अर्हता सेवा और जन्म तिथि आदि को गलत प्रविष्ट किए जाने के कारण हुए थे। पेंशन वितरण एजेंसियाँ (पी डी ए) अपने पेंशनरों की प्रोफाइल का डाटा बेस पी एस ए द्वारा जारी किए गए पी पी ओ के डाटा को मैनुअल रूप से अपने सिस्टम में प्रतिलेखन के द्वारा बना रही थीं। इस प्रणाली में

प्रतिलेखन त्रुटि की संभावना थी, जैसा कि ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में प्रकट होता है। इसके अलावा, चूँकि पीडीए को पेंशन का संशोधन आदि करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, इसलिए उनके द्वारा की गई त्रुटियों को समय पर खोज निकालना, पी सी डी ए(पी) को समय पर भुगतान स्क्रॉल प्रस्तुत किए जाने और पी सी डी ए (पी) द्वारा इन स्क्रॉलों की व्यापक लेखापरीक्षा पर निर्भर करता था।

पी एस ए और पी डी ए के डाटाबेस का गैर-एकीकरण तथा पी डी ए द्वारा पी सी डी ए (पी) को भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करने में अपर्याप्त नियंत्रण से प्रणालीगत अक्षमताएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के वितरण में अल्प-भुगतान, अधिक-भुगतान एवं अन्य अनियमितताएं दिखीं, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चित है। ये कमियाँ परिचायक थीं और एक अधिक मजबूत पेंशन वितरण प्रणाली की आवश्यक्ता को रेखांकित कर रही थीं जो इस प्रणाली को स्वचालित बनाने में विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा पहले से प्राप्त प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के लाभों पर निर्मित होगी ।

उपरोक्त के आलोक में, निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- पेंशन प्रणाली का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे पेशनरों की महत्वपूर्ण जानकारी का प्रवाह अपने मूल स्थान (उदाहरण, अभिलेख कार्यालय) से पेशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए) के माध्यम से अपने गंतव्य (पी डी ए) तक सहज और इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता हो। यह विशेष रूप से पी डी ए में सूचना के मैनुअल प्रतिलेखन की आवश्यकता को कम कर देगी जिससे संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ गलतियों की संभावना भी बंद होगी।

- मूल स्थान से प्राप्त जानकारी की व्यापक वैधीकरण जांच होनी चाहिए और उचित प्राधिकार एवं लेखापरीक्षा जाँच के बिना किसी भी मध्यवर्ती चरण में इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

- पी सी डी ए (पी) को स्क्रॉलों की समग्र ई-लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करना चाहिए ताकि अल्प एवं अधिक भुगतान सहित तत्कालिक विचलनों का समय पर पता लगाया जा सके, जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके।

- डाकघर, कठुआ को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एम ओ डी को डाक विभाग से संपर्क करना चाहिए।

- आर ओ द्वारा अनुरक्षित मूल प्रोफ़ाइल में पैन नंबर प्रविष्ट किया जाना चाहिए और टी डी एस आसान बनाने के लिए पी डी ए तक प्रेषण श्रृंखला के माध्यम से पहुंचना चाहिए।

- पी डी ए को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रणाली को दुविधा रहित बनाने के लिए आर ओ द्वारा व्यक्ति के सेवा में रहते हुए ही आधार संख्या प्राप्त कर लेनी चाहिए और बुनियादी जानकारी के रूप में प्रेषण श्रृंखला से होते हुए पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों के माध्यम से पेंशन वितरण एजेंसियों तक पहुंचानी चाहिए। मौजूदा मामलों में, पेंशनरों की आधार संख्या प्राप्त करने एवं पी डी ए का डाटाबेस भरने के लिए, पी एस ए और पी डी ए द्वारा एक तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यक्ता थी । इससे पेंशनरों के लिए समस्या रहित जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

- पी एस ए और पी डी ए को जीवन प्रमाण के फायदों का प्रचार करना चाहिए ।

एम ओ डी ने सिफारिशों को नोट करते हुए यह भी कहा कि पेंशनरों और उनके आश्रितों के पैन, आधार, मोबाइल नंबर और ई-मेल पतों का समावेश करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि आधार संख्या के अभाव में भारतीय नागरिकों को कोई पी पी ओ जारी नहीं किया जाएगा।